न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : (178/19) 569/2016

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. गोरधनसिंह पुत्र हरलालसिंह जाति–राजपुरोहित निवासी–बिकरलाई तहसील–जैतारण जिला–पाली हाल मुकाम –धौला चौतरा पाली तहसील एवं जिला– पाली राज.।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, पाली जिला–पाली राज. 2. तहसीलदार जैतारण 3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तारीख रजू:.01/12/2016

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक :– 23/12/2019

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा– बिकरलाई तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 119 रकबा 10–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि जागीर अधिग्रहण के पूर्व श्री सज्जनसिंह वल्द दुलसिंह जाति राजपुत निवासी बिकरलाई के नाम की जागीर एवं खुदकाश्त की भूमि थी, जो वकत सेटलमेंट से सज्जनसिंह वल्द दुलसिंह राजपुत के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है वक्त सेटलमेंट जारी खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011–2030 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है विवादित कृषि भूमि के वक्त सेटलमेंट काबिज खातेदार काश्तकार श्री सज्जनसिह वल्द दुलसिंह राजपुत ने जरिये लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 11.07.1966 को विवादित कृषि भूमि वादी के पिता हरलाल वल्द सालु जी कौम पुरोहित निवासी बिकरलाई को बएवजाने रूपये एक हजार रूपये में बेचान कर भूमि को कब्जा वादी के पिता श्री हरलाल को सुपुर्द कर दिया। उक्त लिखित पंजीबद्ध बेचान की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है। उक्त लिखित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 11.07.1966 के आधार पर वादी के पिता हरलाल वल्द सालु जी पुरोहित के नाम जरिये नामान्तरकण संख्या 110 दिनांक 10.09.1968 राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया। उक्त नामान्तकरण संख्या 110 की प्रमाणित वाद के साथ पेश है। तत्पश्चात हरलाल वल्द सालु जी पुरोहित विवादित कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज हुये व जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2023–2027 में खसरा नंबर 119 रकबा 10–05 बीघा किस्म बा0अव्वल में बतौर खातेदार काश्तकार के वादी के पिता श्री हरलाल के नाम दर्ज है उक्त जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है श्री हरलाल वल्द श्री सालु जी पुरोहित देहान्त होने के पश्चात विवादित कृषि भूमि उनके विधिक उत्तराधिकारी वादी गोरधनसिंह के नाम

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के दर्ज किया गया। तब से उक्त विवादित कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के वादी काबिज है उक्त विवादित भूमि की चालु जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है। तत्पश्चात संवत 2027-2030 में हल्का पटवारी बिरोल ने अवैध व गैरकानूनी रूप से वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 119 रकबा 10-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि को बगैर अवाप्त किये एवं बिना किसी न्यायालय के आदेश एवं सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 119 रकबा 10-05 बीघा भूमि में से 2-10 बीघा भूमि का खसरा नंबर 119/1 कायम कर 2-10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम सड़क के रूप में अलग से खाते में गलत अंकित कर दी, उक्त जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2027-2030 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है जबकि सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय के आदेश के बगैर हल्का पटवारी बिरोल को वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि में से 2-10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 के नाम दर्ज करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं था, तब से लगातार यह गलीत इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। तत्पश्चात दिनांक 03.08.2016 को वादी राजस्व रेकर्ड देखने पर इल्म हुआ कि खसरा नंबर 119 रकबा 10-05 बीघा भूमि में से गलत रूप से रकबा 2-10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 के नाम खाते में अवैध एवं गैरकानूनी रूप से दर्ज हो गई, जो एक रोंग एन्ट्री है जिसे दुरूस्त करवाने का वादी को कानूनी हक अधिकार है इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार जैतारण को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 119 में से 2-10 बीघा भूमि का बिना नामान्तकरण के गैर मु. सड़क के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की सूचना चाही, उक्त सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र की प्रति वादी पत्र के साथ संलग्न है। जिसपर दिनांक 26.08.2016 को प्रतिवादी संख्या 02 ने लिति में वादी को यह जवाब प्रेषित किया गया कि जमाबन्दी संवत 2027-2030 की नकल संलग्न भिजवाई जा रही है उक्त जमाबन्दी में खसरा नंबर 119 रकबा 7-15 बीघा किस्म बारानी प्रथम दर्ज है एवं खसरा नंबर 119/1 रकबा 2-10 बीघा गै.मु. जो निर्माण विभाग के अधिकृत सड़क के नाम से दर्ज है खसरा नंबर 119/1 जो निर्माण विभाग के अधिकृत सड़के नाम से दर्ज हुआ इसका जमाबन्दी में किसी प्रकार का कोई नामान्तकरण का इन्द्राज नहीं है तथा पटवारी हल्का से राजस्व नक्शा का अवलोकन करने पर उक्त खसरा नंबर की कोई भी तरमीम की हुई नहीं पाई गई उक्त तहसीलदार की सूचना दिनांक 31.08.2016 को वादी को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उक्त गलत इन्द्राज का मालुम पड़ा है। इस पर वादी ने अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का राजस्व रेकर्ड को दुरूस्ती करवाने हेतु राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादीगण को अपने अधिवक्ता मार्फत एक वैधानिक नोटिस धारा 80(1) सीपीसी के तहत दिनांक 09.09.2016 को दिया गया, उक्त नोटिस की प्रति वाद के साथ पेश है। विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 119 रकबा 10-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल सरहद मौजा बिकरलाई का वादी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त विवादित भूमि में से अवैध एवं गैरकानूनी रूप से रकबा 2-10 बीघा भूमि खसर नंबर 119/1 रकबा 2-10 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़क वाके सरहद मौजा बिकरलाई में गलत इन्द्राज है उसे जरिये रेकर्ड दुरूस्ती कर सम्पूर्ण भूमि खसरा नंबर 119 रकबा 10-05 बीघा भूमि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। ऐसी घोषणा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती वादी प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित कृषि भूमि पर खसरा नंबर 119 रकबा 10-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के वादी काबिज है व उपयोग उपभोग कर रहा है वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की दखलांदाजी करने भूमि खुर्दबुर्द करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी की गई तो वादी उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देगा, जिससे टण्टा फसाद होगा। विविध मुकदमेंबाजी होगी, वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व बार-बार कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय दावा दिनांक 03.08.2016 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड देखने पर अपनी खातेदारी भूमि में 2-10 बीघा का गलत इन्द्राज होने एवं दिनांक 31.08.2016 को तहसीलदार द्वारा सूचना अधिकार के तहत प्रेषित जवाब की प्रति मिलने पर सर्वप्रथम इल्म होने पर बमुकाम बिकरलाई तहसील जैतारण में वाद हेतुक प्राप्त हुआ, उक्त वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है वाद अन्दर म्याद श्रीमान के समक्ष पेश हे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार, जैतारण ने जवाबदावा पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाबदावे में स्पष्ट किया कि खतौनी बंदोबस्त 2011-2030 ग्राम बिकरलाई तहसील-जैतारण के अनुसार खसरा नंबर 119 रकबा 10.05 बीघा श्री सज्जनसिंह पुत्र दुलसिंह कौम राजपुत खुदकाश्त दर्ज था। सज्जनसिंह ने ग्राम बिकरलाई के खसरा नंबर 119 रकबा 10.05 बीघा का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 11.07.1966 से वादी के पिता हरलाल पुत्र सालु कौम पुरोहित को कर दिया। जिसका जरिये नामान्तकरण संख्या 110 के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। जमाबंदी संवत 2023-26 के अनुसार श्री हरलाल बतौर खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सवंत 2027-30 में खसरा नंबर 110 रकबा 10.05 बीघा में से खसरा नंबर 119/1 रकबा 2.10 बीघा निर्माण विभाग के अधिकृत सड़के के खाते में दर्ज है तथा शेष भूमि खसरा नंबर 119 रकबा 7.15 बीघा श्री हरलाल पुरोहित के खाते में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 119/1 रकबा 2.10 बीघा को सड़के दर्ज करने का कोई आधार नहीं है। जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। जमाबंदी ग्राम बिकरलाई संवत 2023-26 में जरिये नामानतकरण संख्या 110 के उक्त भूमि श्री हरलाल पुरोहित के नाम अमल दरामद हुई। परन्तु अगली जमाबंदी सवंत 2027-30 में उक्त खसरा नंबर 110 रकबा 10.05 बीघा के दो पृथक पृथक हिस्से का रकबा 2.10 बीघा सड़के के नाम से तथा रकबा 7.15 बीघा हरलाल के नाम से दर्ज हुआ है। लेकिन उक्त खसरा के दो भाग करने का कोई आधार राजस्व रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। हल्का पटवारी ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए अवगत करवाया कि पी.डब्ल्यू.डी. के नाम से कोई नामान्तकरण दर्ज नहीं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

हुआ है। तथा नक्श ट्रेस में कोई इसकी तामील नहीं है तथा उक्त खसरा के पास के खसरा नंबर 120 रकबा 1.16 बीघा गै.मु. रास्ता दर्ज रेकर्ड होकर चल रहा है हल्का पटवारी की रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस सलंग्न कर प्रत्युतर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाबदावे में वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तुत जवाबदावे से यह स्पष्ट है कि वह वादी-वादी में प्रकट तथ्यों से सहमति व्यक्त की है। ग्राम-बिकरलाई की खतौनी संवत 2011-2030 से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 119, रकबा 10-05 बीघा, बारानी अव्वल आराजी सज्जनसिंह वल्द दुलसिंह के नाम खुदकाश्त दर्ज है। पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 11.07.1966 एवं नामांतकरण पंजिका ग्राम-बिकरलाई, तहसील-जैतारण की नामांतरण संख्या 110 एवं जमाबन्दी एवं जमाबंदी ग्राम-बिकरलाई, संवत 2023-2026 की प्रविष्टियों से जाहिर है कि खातेदार सज्जनसिंह द्वारा दिनांक 11.07.1966 को केता हरलाल वल्द सालु पुरोहित के पक्ष में ग्राम-बिकरलाई के खसरा संख्या 119 रकबा 10-05 स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। केता हरलाल वादी गौरधनसिंह के पिता है। जमाबंदी संवत 2027-2030 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 119 से एक नवीन खसरा संख्या 119/1 निर्मित करके मूल खसरा संख्या 119 के कुल रकबा 10.05 बीघा में से 2.10 बीघा भूमि कम करके नवीन खसरा संख्या 119/1 में शामिल करते हुए निर्माण विभाग के अधिकृत सड़क के नाम से किस्म गै.मु. दर्ज कर दिया गया। परंतु जमाबंदी में की गई उक्त प्रविष्टि से पूर्व कोई नामांतकरण दर्ज नहीं किया गया, तथा नहीं ऐसी प्रविष्टि किए जानें का कोई कारण या आदेश की प्रविष्टि की गई है। तहसीलदार,जैतारण के जवाब से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त नवीन खसरा संख्या 119/1 रकबा 2-10 बीघा की प्रविष्टि से पूर्व कोई नामांतरण स्वीकृत नहीं किया गया। संवत 2027-2030 की जमाबंदी के खसरा नंबर 119 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार हरलाल वल्द सालूसिंह के नाम 7.15 बीघा भूमि दर्ज है जो वर्तमान जमाबंदी में भी बदस्तूर दर्ज है। तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 119 के पास ही खसरा संख्या 120, रकबा 01-16 बीघा, गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है तथा मौके पर इस भाग से ग्रेवल सड़क गुजर रही है, जबकि खसरा संख्या 119/1 रकबा 02-10 बीघा भूमि वर्तमान में भी मूल खसरे 119 की भूमि का ही भाग है तथा मौके पर खातेदार की ही कब्जे काश्त है। इस प्रकार चूंकि राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि बिना कोई अवाप्ति की कार्यवाही अमल में लाए एवं बिना किसी सक्षम स्वीकृति एवं आदेश के तथा बिना नामांतरण दर्ज किए नवीन जमाबंदी निर्माण के दौरान राजस्व कार्मिकों द्वारा खातेदार की भूमि को अनाधिकृत रूप से कम करते हुए नवीन खसरा संख्या 119/1 की प्रविष्टि करते हुए खातेदार एवं वादी की खातेदारी भूमि में से 2-10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकृत सड़क नाम से किस्म गै.मु. दर्ज कर दी गई, जबकि मौके पर पहले से ही रास्ता रिकॉर्ड एवं मौके पर विद्यमान है, जिसका खसरा संख्या 120, रकबा 1-16 बीघा गे.मु. रास्ता दर्ज है, जिस पर वर्तमान में ग्रेवल सड़क चल रही है। इस प्रकार अप्राधिकृत एवं अनाधिकृत रूप से किसी खातेदार की खातेदारी भूमि का रकबा कम करते हुए उसकी किस्म बदलकर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

अन्य के नाम से जमाबन्दी में अंकन कर देना न केवल विधि-विरूद्ध और आरंभतः शून्य है, बल्कि संबंधित राजस्व कार्मिकों की कर्तव्य निर्वहन की घोर अवहेलना एवं लापरवाही भी है। अतः हम वाद-वादी स्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित मानते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान-काश्तकारी अधिनियम-1955 पूर्णतया साबित होने से स्वीकार करते हुए ग्राम-बिकरलाई, तहसील-जैतारण, जिला-पाली के मूल खसरा संख्या 119, रकबा 10-05 बीघा, किस्म-बारानी अव्वल से निर्मित एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नंबर 119 रकबा 07-15 बीघा एवं खसरा संख्या 119/1, रकबा 2-10 गै.मु. सड़क का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि वह विधिविरूद्ध एवं अप्राधिकृत रूप से ग्राम बिकरलाई की जमाबंदी में की गई प्रविष्टि ''खसरा संख्या 119/1, रकबा 02-10 बीघा किस्म निर्माण विभाग के अधिकृत सड़क'' को विलोपित करते हुए इसे मूल खसरा संख्या 119 में सम्मिलित करें। इसी कदर पृथक से पर्चा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/12/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. गोरधनसिंह पुत्र हरलालसिंह जाति–राजपुरोहित निवासी–बिकरलाई तहसील–जैतारण जिला–पाली हाल मुकाम –धौला चौतरा पाली तहसील एवं जिला–पाली राज.।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, पाली जिला–पाली राज. 2. तहसीलदार जैतारण 3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, मु0न0 :रा0वा0 स0: (178/19) 569/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रति0 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान–काश्तकारी अधिनियम–1955 पूर्णतया साबित होने से स्वीकार करते हुए ग्राम–बिकरलाई, तहसील–जैतारण, जिला–पाली के मूल खसरा संख्या 119, रकबा 10-05 बीघा, किस्म–बारानी अव्वल से निर्मित एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा नंबर 119 रकबा 07–15 बीघा एवं खसरा संख्या 119/1, रकबा 2–10 गै.मु. सड़क का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि वह विधिविरूद्ध एवं अप्राधिकृत रूप से ग्राम बिकरलाई की जमाबंदी में की गई प्रविष्टि ''खसरा संख्या 119/1, रकबा 02–10 बीघा किस्म निर्माण विभाग के अधिकृत सड़क'' को विलोपित करते हुए इसे मूल खसरा संख्या 119 में सम्मिलित करें। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इरा मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/12/2019 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–		मुत्फरिक		
मिजानः–	07	-00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.26 17:28:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: